अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 143(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 फरवरी,1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 92 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने करूणा न्यास,22 गौतम नगर, निकट नारापुरा रेलवे क्रासिंग अहमदाबाद-13 द्वारा पूरे गुजरात में नेत्र आपरेशन, पोलियो आपरेशन कैम्प,आक्सीजन सिलेण्डर सेवा व एम्बुलेंस सेवा के संचालन करने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में दिनांक 16 जनवरी,1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 57 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा 20 जून,2001 की अधिसूचना सं0सां0आ0 539 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए संशोधित करके लागत को 94.00 लाख रू0 से 128.00 लाख रूपये तक बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,यह समिति आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ङ के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश करती है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करूणा न्यास,22 गौतम नगर, निकट नारापुरा रेलवे क्रासिंग अहमदाबाद-13 द्वारा पूरे गुजरात में नेत्र आपरेशन पोलियो, आपरेशन कैम्प,आक्सीजन सिलेण्डर सेवा व एम्बुलेंस सेवा के संचालन करने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 42/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)